

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

पत्रांक :63 / प्र0अ0(त0स0-2) / जोन-5 / शमन / 2012-13 दिनांक 20 / 6 / 2014

### शमन (Compounding) / विनियमितीकरण स्वीकृति-पत्र

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 एवं धारा 14 तथा 15 के अर्न्तगत किया जा रहा है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर क्रिया हेतु शमन विनियमितीकरण भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती रोमिला रस्तोगी चैयरपर्शन बाबू लाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री संगम लाल सिंह द्वारा आराजी संख्या-696 मौजा-अन्दौवा, झूँसी, इलाहाबाद जोन संख्या (5) के अर्न्तगत क्रिया हेतु विनियमितीकरण भवन निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 05 अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना आवश्यक रूप से की जायेगी।
6. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् ही जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
7. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-2013/इला0/215/ सि0ला0/105 दिनांक 08 मार्च, 2014 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
8. मानचित्र में दर्शित अशमनीय भाग को स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर स्वतः ध्वस्त कराकर इ0वि0प्र0 को सूचित करना होगा। इस सम्बन्ध में दिये गये शपथ पत्र दिनांक 20.05.2013 का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
9. निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं उत्सर्जित मलवा अपने परिसर में ही रखा जाय, इस हेतु दिये गये शपथ पत्र दिनांक 06.08.2013 का अक्षरशः अनुपालन किया जाना होगा।
10. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही किया जाय।
11. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
12. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अर्न्तगत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
13. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा जाय तो पहले ही उसे अपने खर्चों से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
14. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।


(पुष्कर श्रीवास्तव)

प्रभारी अधिकारी (त0स0-2)

R. K. Kumbhari

2/07/14


8004999971




GROUND FLOOR PLAN




FRONT ELEVATION




SECTION AT AB




SITE PLAN



FIRST FLOOR PLAN



SECOND FLOOR PLAN



TERRACE PLAN

NOTE :-  
 LIME CONCRET FOUNDATION  
 FLOORING OVER R.C.SLAB  
 CONCRET ROOF WITH  
 ROAD WIDENING AREA 77.000x91.00  
 NET AREA AREA ON STILL  
 COVERED AREA ON U.G.F.  
 COVERED AREA ON S.F.  
 OPEN AREA ON G.F.  
 COVERED AREA ON G.F.  
 AREA ON G.F.  
 AREA ON G.F.  
 AREA ON G.F.  
 AREA ON G.F.  
 AREA ON G.F.  
 AREA ON G.F.

FLOOR	SANCT AREA	GEN. COMP.	R.S.B. COMP.	F.S.B. COMP.	TOTAL
STILL	579.47	140.15	3.11	25.64	748.37
U.G.F.	499.62	220.00	3.11	13.85	736.58
S.F.	499.62	220.00	3.11	25.64	748.37

COMPOUND AREA CHART DETAIL :-

It is certified that Building plan has been prepared according to the provisions of 2021 Punjab and Division (Part III) 2008  
 EXISTING AND COMPOUND BUILDING PLAN OF PRIMARY SCHOOL  
 GANPATI KUMAR BHARATI IN AREA OF VILLAGE  
 TEHSEEL - PHULPUR DIST. - ALAHABAD.  
 SCALE 1:200

OWNER :-

BARU RAM KASTOGI MEMORIAL TRUST  
 CHAIRMAN :- MRS. KORIJA KASTOGI  
 W/O MR. RAJEND KASTOGI

Kanshik Kanyoj


Kanshik Kanyoj



SIG. OF ENG.

SIG. OF OWNER

STILL FLOOR PLAN



INTERNAL DOOR PLAN

KEY PLAN N.T.S.